दिनांक 07.12.2016 को नगर परिषद, अररिया के कार्यपालक पदाधिकारी के कक्ष में नरेन्द्र कुमार सिंह, अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित अररिया जिले के नगर निकायों से सम्बधित विभिन्न विषयों पर अयोजित समीक्षात्मक बैठक की उपस्थिति एवं कार्यवाही :–

<u>उपस्थिति :–</u>

01. अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।
02. अधीक्षण अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण, पटना।
03. नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अररिया।
04. नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फारबिसगंज
05. नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जोगबनी।
06. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद,
07. सहायक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद
08. सहायक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, अररिया।

<u>हर घर पक्की नली–गली योजना :–</u>

उक्त योजना के अन्तर्गत तीनों नगर निकायों की स्थिति निम्न प्रकार है।

<u>नगर परिषद, अररिया :–</u> नगर परिषद, अररिया के सभी 29 वार्डो में एक–एक योजना ली गई है, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 141 लाख रूपये है। सी0एस0 हेतु निविदा कार्यपालक अभियंता, डूडा के स्तर पर लम्बित है।

नगर परिषद, फारबिसगंज :– सभी 25 वार्डो में लिए 126 लाख रूपये का आवंटन तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। परन्तु निविदा आमंत्रित नहीं की गई है।

<u>नगर पंचायत, जोगबनी :–</u>सभी 19 वार्डो में से 09 वार्डो में योजनाऐं चयनित है परन्तु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

सभी कार्यपालक पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि उपलब्ध राशि की डेढ़ गुणा राशि की योजना **सभी औपचारिकता को पूर्ण करते हुए एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करें।**

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके पत्रांक–541 दिनांक 02.07.2016 से 17 योजनाओं का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु सहायक अभियंता, श्री अनिल कुमार (डूडा) को भेजा गया, जो उनके पास अद्यतन लम्बित है। श्री अनिल कुमार द्वारा लगभग 05 महीना तक उक्त योजनओं को तकनीकी स्वीकृति हेतु लम्बित रखा गया, जो माननीय मुख्यमंत्री के निश्चय योजना के प्राथमिकता के अनुरूप नहीं है, **अतः इन पर यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है।** श्री अनिल कुमार द्वारा कुछ अन्य योजनाओं का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति सहित दिनांक 06.12.2016 को नगर पंचायत, जोगबनी को उपलब्ध कराने का पत्र दिखाया गया।

<u>तीनो नगर निकायों में नगर प्रबंधक एवं अभियंताओं की स्थिति</u>

मानव बल की उपलब्धता के बारे में बताया गया कि कार्यपालक अभियंता, डूडा की प्रोन्नति अधीक्षण अभियंता में हो जाने के कारण वे समय नहीं दे पा रहें हैं। सहायक अभियंता, डूडा ही तीनों नगर निकायों के सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत है। अतः पूर्णकालिक विभागीय कार्यपालक अभियंता का पदस्थापन अपेक्षित है। **<u>कार्यपालक अभियंता, डूडा पूर्णियाँ को कार्यहित में कार्यपालक अभियंता, डूडा, अररिया का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है।</u>**

नगर प्रबंधक के बारे में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नगर परिषद, फारबिसगंज को छोड़कर अन्य दोनों निकाय नगर परिषद, अररिया एवं नगर पंचायत, जोगबनी में वर्त्तमान में कोई नगर प्रबंधक कार्यरत नहीं है।

नगर परिषद, अररिया में कनीय अभियंता के रूप में श्री धनपत मोदी, सेवा निवृत कनीय अभियंता तथा श्री प्रशांत कुमार, कनीय अभियंता अनुबंध पर कार्यरत है, जिनकी नियुक्ति बिहार **नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–38(b)** के तहत की गई है।

नगर परिषद, फारबिसगंज में एक नियमित कनीय अभियंता, श्री विनोद कुमार एवं एक अनुबंध पर कार्यरत कनीय अभियंता, श्री मनोज कुमार है, जिनकी नियुक्ति बिहार **नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–38(b)** के तहत की गई है।

नगर पंचायत, जोगबनी में श्री अरविन्द्र कुमार अनुबंध पर कनीय अभियंता के रूप में कार्यरत है, जिनकी नियुक्ति बिहार **नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–38(b)** के तहत की गई है। अनुबंध पर नियुक्त कर्मियों को रोस्टर के अनुरूप नियुक्त नहीं किया गया है, **इस पर विभाग के स्तर पर समीक्षा अपेक्षित है।**

हर घर नल का जल :–

नगर परिषद, अररिया– नगर परिषद, अररिया अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना के तहत बी0आर0जे0पी0 द्वारा कुल–29 वार्डो में से 14 वार्ड अच्छादित है। योजना की कुल लागत 2459.164 लाख रूपये है, जिसे दिसम्बर–2016 तक पूर्ण होना था परन्तु कार्यपालक अभियंता, बी0आर0जे0पी0, श्री अभिजित कुमार द्वारा बताया गया की बालू की अनुपलब्धता के कारण यह कार्य मार्च–2017 तक पूर्ण हो सकेगा। प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायी गयी, जो संलग्न है, उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त 14 वार्डो में कार्यान्वियत की जा रही योजना का पुरक प्राक्कलन समर्पित किया गया है। शेष 15 वार्डो में हर घर का नल का जल की सुविधा नगर निकाय को उपलब्ध करानी है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि नगर परिषद, अररिया के अगामी बोर्ड की बैठक में सभी वार्ड पार्षदों को योजनाओं से सम्बंधित सभी जानकारियाँ उन्हें उपलब्ध करायें।

अन्य दोनों निकाय क्रमशः नगर परिषद, फारबिसगंज एवं नगर पंचायत, जोगबनी में बी0आर0जे0पी0 द्वारा नल–जल का कार्य नहीं किया जा रहा है अतः कार्यपालक पदाधिकारी ही उक्त कार्य करायें। अभी तीनों नगर निकायों के द्वारा प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है। **यह कार्य शीघ्र करने का उन्हें निर्देश दिया गया।**

शौचालय निर्माण घर का सम्मान

वर्ष, 2016–17 के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध नगर परिषद, अररिया में 1524 में से 950 शौचालय पूर्ण है, नगर परिषद, फारबिसगंज में 1371 के विरूद्ध 389 पूर्ण है एवं नगर पंचायत, जोगबनी में 1566 के विरूद्ध 1202 शौचालय पूर्ण है। तीनों नगर निकायों को शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

ODF के सम्बंध में तीनों निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निम्न प्रकार से इस माह के अन्त तक किये जाने का आश्वासन दिया गया :–

01. नगर परिषद, अररिया–02 वार्ड– वार्ड नं0–15 एवं वार्ड नं0–27
02. नगर परिषद, फारबिसगंज–02 वार्ड– वार्ड नं0–10 एवं वार्ड नं0–25
03. नगर पंचायत, जोगबनी–02 वार्ड– वार्ड नं0–07 एवं वार्ड नं0–15

ठोष अपशिष्ट प्रबंधन :–

नगर परिषद, अररिया में 29 वार्ड में से 20 वार्ड में डोर–टू–डोर कचरा उठाव का कार्य चल रहा है। जोगबनी, नगर पंचायत में सभी 19 वार्डो में डोर–टू–डोर का कार्य चल रहा है, जबकि फारबिसगंज, नगर परिषद के किसी भी वार्ड में डोर–टू–डोर का कार्य नहीं चल रहा है। नगर परिषद, फारबिसगंज को शीघ्र सभी वार्डो में डोर–टू–डोर प्रारम्भ करने का निर्देश दिया गया।

सबके लिए आवास :–

नगर परिषद, अररिया में सबके लिए आवास योजना के तहत कुल स्वीकृत 215 आवासों में से 145 को प्रथम किस्त एवं 16 को द्वितीय किस्त का भुगतान किया जा चुका है। आई0एच0एस0डी0पी0 योजना के तहत कुल स्वीकृत 728 आवासों को प्रथम किस्त दिया जा चुका है। द्वितीय किस्त 659 को दिया जा चुका है एवं तृतीय किस्त 555 लाभुकों को दिया जा चुका है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि तृतीय किस्त में से लाभुकों को पानी का टंकी एवं विद्युत कनेक्शन का कार्य करना है, जो कि लाभुकों के द्वारा नहीं किये जाने के कारण चतुर्थ किस्त के रूप में मो0 14670.00 सेप्टीक टेंक बनाने हेतु राशि नहीं दी जा पा रही है फलस्वरूप योजना पूर्ण नहीं हो पा रही है। **इस पर विभागीय दिशानिर्देश अपेक्षित है।**

नगर परिषद, फारबिसगंज में आई0एच0एस0डी0पी0 योजना के तहत कुल स्वीकृत 870 आवासों में 37 आवासों पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है एवं कोई भी आवास पूर्ण नहीं है। नगर परिषद, फारबिसगंज में सबके लिए आवास योजना के तहत फेज–01 में स्वीकृति नहीं है अतः कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

नगर पंचायत, जोगबनी में आई0एच0एस0डी0पी0 योजना के तहत कुल–331 आवास स्वीकृत है, जिसका कार्यान्वयन एच0पी0एल0 के द्वारा किया जा रहा है। उनमें से 142 आवास पूर्ण है। नगर पंचायत, जोगबनी में सबके लिए आवास योजना के तहत फेज–01 में स्वीकृति नहीं है अतः कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

अपेक्षित विभागीय दिशानिर्देश

तीनों कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि बिहार भवन उप विधि–2014 की धारा–16 (5) के तहत यह प्रावधान है कि विद्युत विभाग बिना अधिभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त किये नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत किसी भवन में विद्युत संयोजन नहीं कर सकता है। परन्तु विद्युत विभाग द्वारा निदेश देने के बावजूद संयोजन दिया जा रहा है। इस प्रावधान का कठोरता से पालन करने पर जहाँ अवैध भवन निर्माण पर रोक लगाया जा सकता है वहीं नगर निकायों को राजस्व की भी प्राप्ति हो सकती है। **इस सम्बंध में विभागीय स्तर पर सम्बंधित विद्युत विभाग को निर्देश देने की अपेक्षा व्यक्त की गई।**

E-Municipality के तहत ऑन लाईन नक्शा अपलोड करने में कठिनाई के सम्बंध में कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई। **इस सम्बंध में ए0बी0एम0 संस्था को विस्तृत प्रशिक्षण देने हेतु निर्देश अपेक्षित है।**

सभी निजी विद्यालयों को नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत विद्यालय चलाने हेतु नगरपालिका अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु शिक्षा विभाग को विभागीय स्तर पर निर्देश देने की आवश्यकता बतायी गयी। बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–342 के तहत भवन का गैर आवसीय उपयोग हेतु नगर निकाय से अनुज्ञप्ति आवश्यक है।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

अपर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना